

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2021 — पौष 25, शक 1942

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-07/आठ-परि/2020.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती एवं सेवा की शर्तें, नियम 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (3) में, अंक “39” के स्थान पर, अंक “74” प्रतिस्थापित किया जाये।
2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7
“3.	परिवहन उप निरीक्षक	74	50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग द्वारा	15 प्रतिशत		कुल पदों के 35 प्रतिशत पदों को, संयुक्त विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 में से सहायक ग्रेड-एक, दो, एवं तीन तथा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2008 में से आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से भरे जायेंगे.”

3. अनुसूची-पॉच में,-

- (1) पार्श्व में, शब्द "प्रवेश की योजना के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती अर्थात् परिवहन उप-निरीक्षकों (गैर तकनीकी) के पदों को परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा में से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन कर पूर्ति की योजना:-" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "परिवहन उप-निरीक्षक (गैर तकनीकी) के पदों को परिवहन विभाग के छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची-एक में से सहायक ग्रेड-एक, सहायक ग्रेड-दो एवं सहायक ग्रेड-तीन" तथा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती एवं सेवा की शर्तें, नियम, 2008 यथा संशोधित 2012 एवं 2014 की अनुसूची-एक में से आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से संयुक्त विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा चयन की योजना :-" प्रतिस्थापित किया जाये।
- (2) खण्ड 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
"1. नाम:- इस योजना का संक्षिप्त नाम "परिवहन उप-निरीक्षक (गैर तकनीकी) के पदों की पूर्ति के लिए संयुक्त विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा चयन की योजना है।"
- (3) पात्रता से संबंधित खण्ड 2 में, शब्द एवं चिन्ह "परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा के केवल ऐसे सदस्य ही योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं:-" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "परिवहन विभाग के छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची-एक में से सहायक ग्रेड-एक, सहायक ग्रेड-दो एवं सहायक ग्रेड-तीन तथा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती एवं सेवा की शर्तें, नियम, 2008 यथा संशोधित 2012 एवं 2014 की अनुसूची-एक में से, आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे, जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं:-" प्रतिस्थापित किया जाये।
- (4) खण्ड 2 के पैरा (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
"(एक) जो शासकीय सेवक छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची-एक में से सहायक ग्रेड-एक, सहायक ग्रेड-दो, एवं सहायक ग्रेड-तीन तथा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती एवं सेवा की शर्तें, नियम 2008 यथा संशोधित 2012 एवं 2014 की अनुसूची-एक में से आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक के पदों में से किसी भी पद पर, परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् कम से कम पांच वर्ष तक स्थाई या स्थानापन्न हैसियत से नियमित सेवा कर चुके हों, एवं"

उक्त संशोधन, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 14th January 2021

NOTIFICATION

F.No. 5-07/trans-VIII/2020.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Transport Department Sub-Ordinate, class-III (Executive) Service Recruitment and Condition of Service Rules, 2008, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In column (3) of serial number 3 of Schedule-I for the figure "39", the figure "74" shall be substituted.
2. For serial number 3 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"3.	Trans-port Sub-Inspector	74	50% through Public Service Commission	15%	-----	35% post of total posts shall be filled by Joint Departmental Limited Competitive Examination of which posts for, Clerical Grade-I, II and III shall be filled from Chhattisgarh Class-III (Clerical and Non-Clerical) Transport service Rules, 2013 and Constable and Head Constable from Chhattisgarh Transport Department Sub-Ordinate Class-III (Executive) Service. Recruitment and Conditions of Service Rules, 2008."

3. In Schedule-V, -

- (1) In Preamble, for the words "Direct recruitment by selection through lateral entry scheme or fulfilment scheme of the post of Transport Sub-Inspector (Non-Technical) by selection through limited competition examination from ministerial service of Transport Department", the words, figures and symbols "Scheme of selection for fulfilment of the post of Transport Sub-Inspector (Non-Technical) by Joint Departmental Limited Competitive Examination from Assistant Grade-I, II and III from Schedule-I of the Chhattisgarh Class-III (Clerical and Non-Clerical) Transport Service Recruitment Rules, 2013 and Constable and Head Constable from Schedule-I of the Chhattisgarh Transport Department, Sub-Ordinate Class-III (Executive) Service Recruitment and Conditions of Service Rules, 2008 as amended in 2012 and 2014 of the Transport Department:-" shall be substituted.
- (2) For clause 1, the following shall be substituted, namely:-
 "1. Title:- Short title of this Scheme is scheme for selection to fulfill the post of Transport Sub-Inspector (Non-Technical) by "Joint Departmental Limited Competitive Examination."
- (3) In clause 2 relating to Eligibility, for the words and symbol "Only such member of the ministerial service of Transport Department who possess following qualification shall be eligible to take benefit from this plan.", the words, figures and symbols "Assistant Grade-I, II and III from Schedule-I of the Chhattisgarh Class-III (Clerical and Non-Clerical) Transport Service Recruitment Rules, 2013 and Constable and Head Constable from Schedule-I of the Chhattisgarh Transport Department, Sub-Ordinate Class-III (Executive) Service Recruitment and Conditions of Service Rules, 2008 as amended in 2012 and 2014 of the Transport Department, who possess the following qualification, shall be eligible to take benefit of this scheme:-" shall be substituted.
- (4) For paragraph (One) of clause 2, the following shall be substituted, namely:-
 "(One) Who has completed rendered regular serve for at least five years in permanent or officiating capacity after completion of probation period on any post of the Assistant Grade-I, II and III from Schedule-I of the Chhattisgarh Class-III (Clerical and Non-Clerical) Transport Service Recruitment Rules, 2013 and Constable and Head Constable from Schedule-I of the Chhattisgarh Transport Department, Sub-Ordinate Class-III (Executive) Service Recruitment and Conditions of Service Rules, 2008 as amended in 2012 and 2014, and"

The said amendment shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
 VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.